प्रेस नोट दिनांक-21.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 144/2020 धारा 363/366ए/372/373/376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट की वाँछित अभियुक्ता रामलली पत्नी राजू उर्फ राजबहादुर निवासी गढ़वारी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव
3. महिला आरक्षी नीलू

(2). कल दिनाँक-20.02.2021 को उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0सं0 26/17 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के वाँछित/फरार अभियुक्त प्रेमपासी पुत्र लखपत निवासी गौरिया देशाह थाना रैपुरा के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत उदघोषणा धारा 82 जा0फौ0 की एक प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर गवाहों के समक्ष चस्पा कर तामीला की कार्यवाही की गयी तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत उदघोषणा के सम्बन्ध में ग्राम में मुनादी करायी गयी। यदि अभियुक्त हाजिर या गिरफ्तार न हुआ तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अभियुक्त की चल संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 21.02.2021 को महिला थाना टीम द्वारा धुस मैदान, तरौहा में, चकरेही चौराहा, भैरोपागा में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।